

कार्यकारी सार

हमने यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए सेनवेट क्रेडिट योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा की कि अधिनियमों/नियमों/स्पष्टीकरणों/पद्धतियों में निर्धारित प्रावधान असंदिग्ध हैं और सेनवेट क्रेडिट योजना के किसी भी दुरुपयोग से सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं और यह कि आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण तंत्र उपस्थित और प्रभावी हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा 41 चयनित कमिशनरियों में की गई थी जिसमें 469 निर्धारितियों से संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रणाली के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट योजना से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों में कमियों, दोनों में वर्तमान प्रावधानों में कतिपय अपर्याप्तताएं दर्शायी थीं।

क. हमने देखा कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में उचित प्रावधानों की कमी के कारण ₹ 21.63 करोड़ की इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट के आनुपतिक मूल्य को लौटाया नहीं गया था।

(पैराग्राफ 2.2)

ख. हमने देखा कि इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के लाभो को अनुमत करते हुए हालांकि इसके इनपुट और पूँजीगत माल पर प्रतिबंधित करना था, मोबाइल फोन के संबंध में शुल्क के रियायती दर के परिणामस्वरूप ₹ 7.30 करोड़ का निर्धारिती को अनभिप्रेत लाभ हुआ था।

(पैराग्राफ 2.3)

ग. नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि तीन मामलों में जहां माल को अप्रचलित के रूप में किया गया था किंतु उचित प्रावधानों की कमी के कारण सेनवेट क्रेडिट को लौटाया नहीं गया था।

(पैराग्राफ 2.4)

घ. हमने देखा कि जॉब कामगार को भेजे गए माल की गैर/विलम्बित प्राप्ति के संबंध में सेनवेट क्रेडिट की गैर/विलम्बित वापसी की दशा में ब्याज प्रभारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

(पैराग्राफ 2.5)

इ. हमने निर्धारितियों द्वारा विभिन्न निर्धारित विवरणियों के गैर-प्रस्तुतीकरण के दृष्टांत देखे। विवरणियों के गैर-प्रस्तुतीकरण जोकि निर्धारितियों द्वारा प्रदत्त शुल्क मूल्यांकन की सटीकता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, छूट की स्वीकार्यता आदि के सत्यापन, के लिए विभाग के सामर्थ्य में बाधा उत्पन्न करेगा।

(पैराग्राफ 3.1)

च. वर्तमान अनुदेशों के उल्लंघन में 41 चयनित कमिश्नरियों में से 21 ने विवरणियों की कोई भी विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी। शेष 20 कमिश्नरियों से उत्तर अब भी प्रतीक्षित है।

(पैराग्राफ 3.2)

छ. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियमों और विनियमों के अनुपालन की जांच के दौरान हमने विभिन्न कमियां देखी जिसमें ₹ 128.31 करोड़ शामिल था जोकि जैसाकि परिकल्पित हैं अनुपालन सत्यापन तंत्र के गैर-अनुपालन के कारण विभाग देखने में असफल रहा।

(अध्याय 4)

सिफारिशों का सार

1. इनपुट पूँजीगत माल के निपटान के समय पर इनपुट सेवाओं के आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट को लौटाने के लिए मंत्रालय सेनवेट क्रेडिट नियमों में एक प्रावधान डाल सकता है।
2. सरकार इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट को प्रतिबन्धित करने के लिए अधिसूचना में उपयुक्त सुधार करने पर विचार कर सकती है।
3. सरकार सेनवेट क्रेडिट को लौटाने के लिए प्रावधान समाविष्ट करने पर विचार कर सकती है जहाँ मालसूची को अप्रचलित घोषित किया गया था किंतु बही खाते से बट्टे खाते नहीं डाले गए थे जहाँ पूँजीगत माल उपयोग करने के बाद बट्टे खाते में डाला गया है।

4. जॉब कामगार को भेजे गए माल की गैर/विलम्बित प्राप्ति के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के गैर/विलम्बित लौटाने के मामले में ब्याज प्रभारित करने के लिए सरकार प्रावधान समाविष्ट करने पर विचार कर सकती हैं।
5. सरकार बीजकों/दस्तावेजों की सं., बीजकों की तिथि, अध्याय शीर्ष सहित माल का नाम, ली गई क्रेडिट को राशि आदि को समाविष्ट करने वाले निर्धारितियों द्वारा लाभ उठाए गए सेनवेट क्रेडिट के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान समाविष्ट करने पर विचार कर सकती हैं ताकि रेंज स्तर पर प्रारंभिक जांच की जा सके।